

रेफ्रिजरेटेड भान

फल, सब्जी, फूल एवं मशाले (हरि पत्तियाँ) इत्यादि उद्यानिक फसलों का उत्पादन जहाँ अधिक होता है, वहाँ से उसे सूदूर बड़े-बड़े शहरों तक बिना उसके गुणवत्ता में कमी के ताजे स्थिति में उपलब्ध कराने के लिए ट्रान्सपोर्टेशन हेतु रेफ्रिजरेटेड भान की आवश्यकता होती है। इसमें उत्पाद ताजे स्थिति में बनी रहती है। बड़े-बड़े शहरों में उत्पादों की कीमत भी स्थानीय बाजार से कई गुणे उत्पादकों को मिल जाता है। उत्पाद रेफ्रिजरेटेड अवस्था में ही उत्पादित स्थान से उपभोक्ता के बाजार में उपलब्ध होता है।

अनुमानित लागत ₹ 26.00 लाख

समन्वित उद्यानिक विकास मिशन द्वारा सहायतानुदान (35%) – ₹ 9.10 लाख

राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान (15%)	– ₹ 3.90 लाख
कुल अनुदानित राशि	– ₹ 13.00 लाख
लाभार्थी द्वारा शेष राशि	– ₹ 13.00 लाख
कुल	– ₹ 26.00 लाख

(1) समन्वित उद्यानिक विकास मिशन द्वारा क्रेडिट लिंक्ड बैंक इन्डेड अनुदान का प्रावधान है। अतः बैंक से ऋण प्राप्ति के पश्चात ही अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

(2) रेफ्रिजरेटेड भान की क्षमता 9 मिट्रिक टन होनी चाहिए यानि उसका भीतरी आयतन 954 घन फीट होना चाहिए। रेफ्रिजरेटेड वाहन निर्माण करने वाली कम्पनी का निर्मित होनी चाहिए/पार्ट्स एसम्बल कर निर्माण कराये गये रेफ्रिजरेटर भान पर अनुदान का दावा मान्य नहीं होगा।